संख्या-38/2016/63मंत्री/26-3-2016-4(65)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 24 फरवरी 2016

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के विकास कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1301-02/स.क. विकास/एकीकृत विकास योजना/2015-16, दिनांक-20-11-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड-जंगल कौड़िया एवं कैम्यिरगंज में विकास कार्यो हेतु कुल रूपया-726.765 लाख की निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रूपया-362.97 लाख (रूपया-1.69 लाख उपलब्ध प्राविधान से सीधे एवं रूपया-361.28 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रूपया लाख में)

क्र.सं	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	विकास कार्यो की लागत		स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4		5
1	भम्भौर	जंगल कौडिया	पिच रोड़, सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	145.896	72.594
2	धर्मपुर	कैम्यिरगंज	पिच रोड़, सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	145.860	72.594
3	आलमचक	,,	पिच रोड़, सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	144.086	72.594
4	मछलीगांव	,,	पिच रोड़, सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	138.938	72.594
5	बसन्तपुर	,,	पिच रोड़, सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	151.985	72.594
कुल योग				726.765	362.97

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(1)- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को आवंटित की जायेगी एवं जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। उक्त कार्य हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण में विलम्ब होने से यदि लागत में बृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी,जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)-कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्यो की प्रस्तावित लागत को यथावत मानते हुए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अतएव स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग होने के उपरान्त कराये गये कार्यो का फोटोग्राफ के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

(6)-उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्कमार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी-एम-9 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षको में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2-/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-38/2016/63 मंत्री (1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पे्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, गोरखपुर।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–बी०एम०–७ (पार्ट–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर–150)

अनुदान संख्या व नाम :– 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2015–2016 (धनराशि हजार रू० में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0104–अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण (के.50/रा.50–के.+रा.)–24–वृहत निर्माण कार्य–	100000	29003	29003	29003	70997
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1001–पेयजल व्यवस्था–24–वृहत निर्माण कार्य–	5000	1485	1485	1485	3515
1002–आवास निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य–	5000	5000	5000	5000	00
1004–सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य–	15000	640	640	640	14360
योग	125000	36128	36128	36128	88872

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–आयोजनागत–789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–10–अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना–1003–सम्पर्क मार्ग का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य–	103064	139192	36128	36128	139192
योग	103064	139192	36128	36128	139192

1. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है। संख्या–आरबी०–404/दस–2016, दि०23-3-16
2. स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है– वास्तविक आवश्यक के कारण।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

([illegible])
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

–2–

संख्या–304(1)/63–2016(1)/26–3–2016–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
3. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
5. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
7. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
8. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।